


**संचालनालय**  
**भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़**  
**इन्द्रावती भवन, नया रायपुर - 492002**  
**-आदेश-**

नया रायपुर दिनांक **12 4 NOV 2015**

क्रमांक 6609..... छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 6 (ख) में संचालक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त नियम में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों को भी अधिकृत किया जाता है :-

स.क्र.	कार्य / शक्तियाँ	अधिकारीगण
1	2	3
1	नियम 6 (ख) अनुसार अनुसूची "एक" के भाग (ग) तथा अनुसूची "दो" के भाग (क) में विनिर्दिष्ट खनिजों के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर तथा 6 मीटर की सीमित गहराई हेतु प्रस्तावित उत्खनन संक्रियाओं के लिए स्थल निरीक्षण के माध्यम से खनिज की उपलब्धता की पुष्टि करने हेतु।	जिले में पदस्थ ऐसे खनि निरीक्षक, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातक हो अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारक हो। जिले में तकनीकी अर्हता धारित खनि निरीक्षक पदस्थ नही होने की स्थिति में संचालक द्वारा अधिकृत पड़ोसी जिला कार्यालय में पदस्थ उक्त अर्हता धारित खनि निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

  
**संचालक**  
भौमिकी एवं खनिकर्म  
रायपुर